



S No. 10610
100m

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 2 के
(नियम 4 देखिए)
नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें।
भाग 1

21-3/14 (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है) मैं लोकसभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित नामनिर्देशन-पत्र को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।
अभ्यर्थी का नाम.....
पिता/माता/पति का नाम.....
उसका डाक पता.....
उसका नाम.....
पिता/माता/पति का नाम.....
उसका डाक पता.....
उसका नाम.....
की निर्वाचक नामावली के भाग सं0.....
में क्रम सं0.....
मेरा नाम.....
है जो.....
विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं0.....
में क्रम सं0.....
संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) में क्रम सं0.....
पर प्रविष्ट है।
संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं0.....
पर प्रविष्ट है।

(प्रस्थापक के हस्ताक्ष)

भाग 2

(मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े न किये गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम.....

पिता/माता/पति का नाम.....

उसका डाक पता.....

उसका नाम.....
की निर्वाचक नामावली के भाग सं0.....
में क्रम सं0.....
पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपर्युक्त है दर्ज हैं और हम उस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक

क्र. सं.	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं.	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	214/मै. 110	178	876	मोहनलाल	20-3-14	
2.	रामनाथनगर	178	880	रामनीत	20-3-14	
3.	किंजिरा नगर	118	543	गोविंद	20-3-14	
4.	कीर्तिनगर	59	609	चुनीलकुमार	20-3-14	
5.	कीर्तिनगर	59	107	रवि शुभ्र	20-3-14	
6.	किंजिरा	128	367	शिवप्रताप	20-3-14	
7.	रामनाथनगर	178	867	दुर्गमाराम	20-3-14	
8.	रामनाथनगर	179	868 869	पालकी	20-3-14	
9.	कीर्तिनगर	120	930	श्रीनारायण	20-3-14	
10.	कीर्तिनगर	120	915	दुर्गा	20-3-14	
11.	कीर्तिनगर	120	933	रवि शुभ्र	20-3-14	
12.	कीर्तिनगर	120	925	रोहिणी	20-3-14	

कृपया ध्यान दें:- प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

Zahar

भाग 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि:-

- (क) मैंने ५४ वर्ष की आयु पूरी कर ली है
 { नीचे (ख) (i) या (ख) (ii) जो लागू न हो उसे काट दें }
- (ख) मुझे इस निर्वाचन में ~~प्र० व० व० ल० ल०~~ प्र० (P.R.C.P.) द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल / राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिये आरक्षित प्रतीक मुद्रा, आवंटित किया जाए। (F.N.H.)
- (ख) मुझे इस निर्वाचन में ~~प्र० व० व० ल० ल०~~ प्र० (P.R.C.P.) दल द्वारा खड़ा किया गया है, रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) (३०) का ५ और (ii) (७३) का १८ हैं।
- (ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर ६६६ (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।
- (घ) अपनी सबोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिये चुने जाने के लिये अर्हित हूँ और निरहित भी नहीं हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं .. जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो १८ मार्च १९८५ के नामनिर्देशन के उस राज्य में कोई अनुसूचित ज्ञाते के संघ में अनुसूचित हैं। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिये निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में ... नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।
- तारीख २५.३.१५. (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)
- जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में " में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र " शब्द काट दीजिए।
 - .. यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।
 - ... लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।
 - जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

भाग 3 क (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को-

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-
- (ii) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए, या
- (ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए, सिद्धदोष ठहराया गया है या

- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है,
जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।
यदि उत्तर " हां " में है तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा:-
- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याकां नहीं
- (ii) पुलिस थाना (थाने) नहीं जिला (जिले) नहीं राज्य नहीं
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था नहीं
- (iv) दोषसिद्ध (दोषसिद्धियों) की तारीख / तारीखें नहीं नहीं
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया गया था नहीं
- (vi) अधिरेपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और / या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें नहीं
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) नहीं
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्ध (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें) पुनरीक्षण फाईल किये गये थे: हां / नहीं
- (ix) फाईल की गई अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियाँ नहीं
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें) पुनरीक्षण आवेदन किये गये थे नहीं
- (xi) परा ७४वा अनावा (अनावा) / कारावास आपदा (आपदा) परा १७५टारा हा गया हा या ५८ / १ लालत है नहीं
- (xii) क्या उक्त अपील (अपीलें) पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो-
(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) नहीं
(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) नहीं

स्थान नहीं नहीं नहीं
तारीख २४-३-१५

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग 4

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन पत्र की क्रम सं.....04.....

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में २१-०३-२०१४ (तारीख को) ०१.०६ P.M. (बजे)

• अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदृष्टि किया गया।

तारीख २१-०३-२०१४


 रिटर्निंग ऑफिसर
 संसदीय चिर्चल बैडॉक, गोपनीय विभाग
 (वित्ती बळ्डर परिटर्निंग ऑफिसर नवाहा)

भाग 5

नामनिर्देशन—पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय
मैंने इस नामनिर्देशन—पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर
लिया है और मैं निम्नलिखित रूप से विनिश्चय करता हूँ:-

तारीख.....
(छिद्रण).....

रिटर्निंग ऑफिसर

• लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।



प्रारूप 26
(नियम 4 के देखिए)

ATTESTED

Rohtash Kumar Mahendra
NOTARY
Jiwan Ganganagar
Rajasthan (India)

ग्रामीण (1) S.C

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

लोक सभा 645 (सदन का नाम के लिए निर्वाचन)
के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

भाग-क

मैं प.म. 16, रोक लाल पुत्र/पुत्री/पत्नी पल्ली लोक सभा, आयु 58 वर्ष, जो 87 लोक सभा का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतीजा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं प्राकृतिक प्रियोगी (PRCP) (राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक चुनावी अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(2) मेरा नाम 213 5544 (महाराष्ट्र) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या 69 के क्रम संख्या 1136 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9373401393 है/है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि हो तो) K+Paluskar@gmail.com है, और मेरा सोशल मीडिया एकाउन्ट (यदि कोई हो तो) _____ है।

(4) राष्ट्रीय लोक संघ्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाईल करने की प्राधिति:-

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिये अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये)
1	स्वयं	ARNPP 9838P	2012-2013	199450
2	पति या पत्नी	₹ 16	₹ 16	₹ 16
3	आश्रित 1	₹ 16	₹ 16	₹ 16
4	आश्रित 2	₹ 16	₹ 16	₹ 16
5	आश्रित 3	₹ 16	₹ 16	₹ 16

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों)का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

ATTESTED
Rohtash Kumar Mahendra
NOTARY
Sri Ganganagar /
Rajasthan (India)

Jahn

NOTARY

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गये हैं।

(क)	मामला / प्रथम सेचना रिपोर्ट संख्या / संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना जिनके लिये को पूर्ण ब्यौरे	नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	नहीं
(ड)	तारीख (तारीखों) जिनको आरोप विरचित किए गये थे	नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। (पूर्वोक्त मद) (i) में वर्णित मामलों से भिन्न):-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	265
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	265
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाईल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	265

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास के लिये का दण्डादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है:-

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्ध दोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:-

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:-

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	265
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	265
(ग)	अधिरोपित दंड	265
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गई थी/ है। यदि हां तो अपील ब्यौरे और वर्तमान प्राप्तिथति	265

ATTESTED

Rohtash Kumar Mahendra
NOTARY
Sri Ganganagar
Rajasthan (India)

(7) मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की अस्तियाँ (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

टिप्पणी 1—संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणी—2 जमा/विनिधान की दशा में क्रम संख्या रकम जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पणी—3 सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।


टिप्पणी—4 यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75 के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पणी—5 रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाते हैं।

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	₹ 10,000/-	₹ 2,500/-	₹ 2,500/-	₹ 2,500/-	₹ 2,500/-
	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियम 163757) जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी नहीं हैं। वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	₹ 10,000/- 10,000/- 11,000/-	₹ 2,500/- 2,500/- 2,500/-	₹ 2,500/- 2,500/- 2,500/-	₹ 2,500/- 2,500/- 2,500/-	₹ 2,500/- 2,500/- 2,500/-
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा युनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	₹ 2,500/-	₹ 2,500/-	₹ 2,500/-	₹ 2,500/-	₹ 2,500/-
(iv)	राष्ट्रीय बचन योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	₹ 2,500/-	₹ 2,500/-	₹ 2,500/-	₹ 2,500/-	₹ 2,500/-
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गये वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	₹ 2,500/-	₹ 2,500/-	₹ 2,500/-	₹ 2,500/-	₹ 2,500/-
(vi)	मोटरयान/वायुयान/यानिक फलूपत्र, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम) TATA LPT 407 ₹ 15,000/-	₹ 40,000/- 30,000/-	₹ 2,500/- 1,20,000/-	₹ 2,500/- 2,500/-	₹ 2,500/- 2,500/-	₹ 2,500/- 2,500/-
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यावान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	₹ 10,000/- 30,000/-	₹ 4,000/- 12,00,000/-	₹ 2,000/- 2,000/-	₹ 2,000/- 2,000/-	₹ 2,000/- 2,000/-
(viii)	कोई अन्य आस्तियाँ जैसे कि दावों/हित का मूल्य	₹ 2,500/-	₹ 2,500/-	₹ 2,500/-	₹ 2,500/-	₹ 2,500/-
(ix)	समग्र कुल मूल्य	₹ 20,41,100/-	₹ 12,00,000/-	₹ 2,500/-	₹ 2,500/-	₹ 2,500/-

ATTESTED

 Rohtash Kumar Mahendra
 NOTARY
 Sri Ganganagar
 Rajasthan (India)



आ. स्थानिक आस्थियों के व्यौरे

टिप्पणी 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नागरिकों में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेन्ट का इस प्रारूप में प्रशंसनीय वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	पूलह (प्रसरण) ३००० वर्गफुट में कुल माप	३००० वर्गफुट में कुल माप	३०००	३०००	३०००
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	३००० वर्गफुट में कुल माप	३००० वर्गफुट में कुल माप	३०००	३०००	३०००
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	३००० वर्गफुट में कुल माप	३००० वर्गफुट में कुल माप	३०००	३०००	३०००
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	३००० वर्गफुट में कुल माप	३००० वर्गफुट में कुल माप	३०००	३०००	३०००
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	३००० वर्गफुट में कुल माप	३००० वर्गफुट में कुल माप	३०००	३०००	३०००
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	३००० वर्गफुट में कुल माप	३००० वर्गफुट में कुल माप	३०००	३०००	३०००
(ii)	"अनुमानित चालू बाजार मूल्य"	३००० वर्गफुट में कुल माप	३००० वर्गफुट में कुल माप	३०००	३०००	३०००
	मैर कृषि भूमि :					
	अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	३०००	३०००	३०००	३०००	३०००
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	३०००	३०००	३०००	३०००	३०००
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	३०००	३०००	३०००	३०००	३०००
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	३०००	३०००	३०००	३०००	३०००
(iii)	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	३०००	३०००	३०००	३०००	३०००
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	३०००	३०००	३०००	३०००	३०००
	"अनुमानित चालू बाजार मूल्य"	३०००	३०००	३०००	३०००	३०००
	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	३०००	३०००	३०००	३०००	३०००
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	३०००	३०००	३०००	३०००	३०००
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	३०००	३०००	३०००	३०००	३०००
(iv)	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	३०००	३०००	३०००	३०००	३०००
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	३०००	३०००	३०००	३०००	३०००
(v)	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	३०००	३०००	३०००	३०००	३०००

ATTESTED
~~Rohtash Kumar Mahendra~~
NOTARY
Sri Ganganagar
Rajasthan (India)

	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	"अनुमानित चालू बाजार मूल्य"	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	87 शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	2000 वर्गफुट शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	निम्न क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	2000 वर्गफुट शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	स्वचालित संपत्ति की दशा में क्रय की	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	"अनुमानित चालू बाजार मूल्य"	1000000 शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	1300000 शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क

(8) में, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें।)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को क्रण या शोध्य नहीं देना शुल्क बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, क्रण की प्रकृति	1000000 शुल्क 1500000 शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को क्रण या शोध्य नाम, बकाया रकम, क्रण की प्रकृति	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	कोई अन्य दायित्व	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	दायित्वों का कुल योग	1500000 शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क

ATTESTED

Rohit Kumar Mihendra
Sri Ganganagar
Rajasthan (India)



(ii)	सरकारी शोध्यः सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	आय-कर शोध्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	धनकंतर शोध्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	सेवाकर शोध्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	विक्रयकर शोध्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	कोई अन्य शोध्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं तप्पाल, शुद्ध, वर्ष शाली

(ख) पति या पत्नी तप्पाल, शुद्ध, वर्ष शाली

(10) मेरी शैक्षिक अहता नीचे दिए अनुसार है:-

M.A.LL.B., R.M.P. (आमृता देवी)

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती <u>मुमुक्षु</u> राजनीति विद्यालय
2.	डाक का पूरा पता	87 मानकर वे ने शुद्ध वर्ष मानकर वे वर्ष
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	(1) गोपनीय (श्रीमती देवी)
4.	उस राजनीतिक दल का नाम, जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	शुद्ध रिपब्लिकन पार्टी (वर्तमान)

ATTESTED

Rohtash Kumar Mahendra
NOTARY
Sri Ganapati Gangaraj
Rajasthan (India)

5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं। (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने सज्जान लिया है। [उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न]					
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाएँ]					
7. का स्थायी लेखा सं. 	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम दायरकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शन आय 			
	(क) अभ्यर्थी - ARHPP-9838P. 20/12/2013		19900			
	(ख) पति या पत्नी ३०६	३०६	३०६			
	(ग) आश्रित ३०६	३०६	३०६			
8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपए में) ३०६	२०४	३०६			
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	३०६	३०६	३०६	३०६	३०६
ख.	स्थावर आस्तियां	३०६	३०६	३०६	३०६	३०६
I.	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	३०६	३०६	३०६	३०६	३०६
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	३०६	३०६	३०६	३०६	३०६
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	३०६	३०६	३०६	३०६	३०६
	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	३०६	३०६	३०६	३०६	३०६
9.	दायित्व					
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	२५६	२५६	२५६	२५६	२५६
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	३०६	३०६	३०६	३०६	३०६
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	२५६	२५६	२५६	२५६	२५६
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	२५६	२५६	२५६	२५६	२५६
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता ० A. LL.B. Roll No. २०६८६९ (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लंघन करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दे।)					

ATTESTED

Rohtash Kumar Mahendra
N.C. 210001
Sri Ganganagar
Rajasthan (India)



सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि:-

- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;
- (ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग के की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख ...२१-३-२०१५..... को सत्यापित किया गया।

ATTESTED

Rohtash Kumar Vahendra
NID: 3531551

Sri Ganganagar
Rajasthan (India)

अभिसाक्षी

टिप्पण : 1. शपथपत्र नामांकन-फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपसहन तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

[फा. सं. एच.- 11019 (6)/2012-वि. II]

डॉ. संजय सिंह, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का. आ. 859, तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार-निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया-

- (1) संख्यांक का. आ. 728 (अ), तारीख 8 मई, 2007।
- (2) संख्यांक का. आ. 425 (अ), तारीख 23 फरवरी, 2011।